

कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक 267 / जि.विधि/उ.न्या.
[VIII-39/2013]
दिनांक 16.09.2013



फोन नं. :- 06456-222530, 222535
फैक्स नं. :- 06456-222626, 225480
ई-मेल :- dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :: आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

- पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
उप विकास आयुक्त, किशनगंज।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-किशनगंज।
जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, किशनगंज।
निदेशक, एन.ई.पी., किशनगंज।
निदेशक, डी.आर.डी.ए., किशनगंज।
अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज।
सिविल सर्जन, किशनगंज।
सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, किशनगंज।
कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला पशुपालन/मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज।
प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा, किशनगंज।
जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.), किशनगंज।
जिला प्रभारी पदाधिकारी, जिला मध्याह्न भोजन योजना समिति, किशनगंज।
जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी., किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, किशनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज/ठाकुरगंज।
अधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज/अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम, किशनगंज।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज।
श्रम अधीक्षक, किशनगंज/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, किशनगंज।

डी.पी.एम., जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनगंज जिला।

सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज जिला।


विषय :- रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 666-70/1992 - विशाका एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.08.1997 को पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु दिशा-निदेश एवं परिवाद समितियों के गठन एवं बैठक के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत कार्यालय ज्ञापांक 1031/सी., दिनांक 26.08.2013 के क्रम में सूचित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित न्यायादेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2058, दिनांक 17.04.2001 के आलोक में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने एवं परिवाद समितियों का गठन (समाहरणालय एवं पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को छोड़कर) तथा अद्यतन कृत कार्रवाई की सूचना संबंधित सभी विभागों से भी अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि परिवाद समिति के गठन के साथ हर दो माह पर अर्थात् फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बैठक किया जाना है, जिसकी सूचना विभाग एवं नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,



(आदित्य कुमार दास)

जिला दंडाधिकारी एवं सभाहर्ता,
किशनगंज।